10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी R850-PBR-17

श्री लखन सिंह धाकड़ एडवो. द्वारा आज दि. 10/03/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जयवीर सिंह परमार पुत्र श्री कुवंरजीत सिंह निवासी– रतन पब्लिक स्कूल आरोन, जिला गुना (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1– श्रीमेहंत ओमकारदास गुरू स्वं श्री रामनरेशदास जी महाराज निवासी– सनकादिक आश्रम आरोन जिला गुना म.प्र.

2– म.प्र.शासन द्वारा पटवारी ग्राम आरोन तहसील आरोन जिला गुना ....अनावेदकगण

10.03.17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय आरोन, जिला गुना के क्रमांक 4/अ–70 /16–17 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

– 2

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता क.1 द्वारा नायब तहसील महोदय आरोन के समक्ष एक आवेदनपत्र अर्तगत धारा 250 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया है कि उसकी भूमि सर्वे क. 1237 रकवा 0.052 हैक्टर से आवेदक की भूमि सर्वे क. 1194 रकवा 0.481 हैक्टयर लगी हुई है। इस प्रकार जयवीर सिंह (प्रतिनिगरानीकर्ता क 1) उसकी भूमि सर्वे क. 1237 रकवा 0.052 हैक्टर में से रकवा 0.040 हैक्टर पर कब्जा कर लिया गया है।

(10)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक निग0 850—पीबीआर/17 जिला—गुना

	जयबीर सिंह आदि कार्यवाही तथा आदेश महंत ओमकारदास एवं म0प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/5/-18	1— यह निगरानी प्रकरण न्यायालय तहसीलदार तहसील आरोन जिला गुना के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 4/अ—70/16—17 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2017 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2— प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री लाखन सिंह घाकड़ अधिवक्ता उपस्थित एवं अनावेदक कमांक 1 की ओर से श्री एस0पी0 धाकड़ तथा शासन की ओर से श्री चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित। 3— प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है। जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा यही कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया था किन्तु तहसीलदार द्वारा मेरा आवेदन पत्र निरस्त कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न कर अपने आदेश दिनांक 4.3.2017 से साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया है तहसीलदार का यह आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है तहसीलदार का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त करने एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि आवेदक को तहसील न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर पहले ही प्रदान किया जा चुका है किन्तु आवेदक जानबूझ कर प्रकरण में बिलम्बकारी कार्यवाही कर बार—बार साक्ष्य प्रस्तुत करने का	

प्रकरण क्रमांक निग0 850—पीबीआर/17 जिला—गुना

जयबीर सिंह आदि	कार्यवाही तथा आदेश	**महंत ओमकारदास एवं म0प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अवसर प्राप्त कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रख कर न्यायिक कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर उचित आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने योग्य है तथा तहसीलदार का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने के अनुरोध के साथ निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक कमांक 2 शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में निगरानी मेमो की प्रति न मिलने का आक्षेप लेते हुए शासन हित में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

4— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि' यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक तहसील आरोन जिला गुना के सीमांकन प्रकरण कमांक 73/अ—12/15—16 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 से की गयी सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि से प्रभाव में आई है। इस न्यायालय में उपरोक्त सीमांकन कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 24.6.16 के संबंध में भी निगरानी कमांक 851/पीबीआर/2017 विचाराधीन है । तथा इसी सीमांकन कार्यवाही के कम में संहिता की धारा 250 की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उदभूत हुई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ—70/16—17 में पारित आदेश दिनांक 4.3.2017 के विरूद्ध यह निगरानी भी इस न्यायालय में प्रचलित है। इस न्यायालय में दोनों ही प्रकरणों में एक साथ विचार किया जा रहा है। प्रथमतः तो सीमांकन कार्यवाही के संबंध में विचार किया गया जहां सीमांकन आदेश दिनांक 24. 06.2016 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया गया है जिसके संबंध में प्रथक से आदेश पारित किया गया है। जब सीमांकन कार्यवाही ही विधिक नहीं है

प्रकरण क्रमांक निग0 850–पीबीआर/17 जिला–गुना

जयबीर सिंह आदि	कार्यवाही तथा आदेश	**महंत ओमकारदास एवं म0प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

तब ऐसी सीमांकन कार्यवाही के आधार पर संहिता की धारा 250 के तहत की जाने वाली कार्यवाही भी विधिक नहीं हो सकती यहां इस संबंध में विस्तृत विवेचना न करते हुए सिर्फ इतना ही निष्कर्ष लिया जा रहा है कि यह कार्यवाही सीमांकन कार्यवाही के आधार पर प्रचलित हुई है जब सीमांकन कार्यवाही ही विधिक नहीं है तब संहिता की धारा 250 की कार्यवाही स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के संबंध में जारी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 4.3.2017 विधिक नहीं माना जा सकता। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही के संबंध में जारी उक्त प्रश्नाधीन आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है, तथा तहसीलदार को यह प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे सीमांकन हेतु आवेदित भूमियों का पुनः विधिवत विहित प्रकियाओं का अनुसारण करते हुए सीमांकन कराएं तत्पश्चात सीमांकन में उपस्थिति स्थिति के अनुसार कब्जे के संबंध में संहिता की धारा 250 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए आगामी कार्यवाही संपादित करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 850 एवं 851/पी0बी0आर0/2017 में पारित आदेश परस्पर एक दूसरे प्रकरण पर प्रभावी होंगे, क्योंकि दोनो ही प्रकरणों में उपस्थित बाद बिन्दु परस्पर एक दूसरे से संबंधित होकर प्रश्नाधीन आदेशों को प्रभावित करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0 एम0क0 अग्रवाल)
सदस्य